



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 02.09.2024

थाना चांदीनगर पुलिस, एसओजी बागपत एवं सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 155/2024 धारा 103(2)/3(5) बीएनएस में वांछित व 50,000 रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गया गिरफ्तार, जिसके कब्जे घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .32 बोर तथा एक मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.08.2024 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री सन्दीप कुमार पुत्र तेजबीर सिंह निवासी ग्राम नवीपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.हरेन्द्र, 2.दीपक पहलवान पुत्रगण



बेदप्रकाश, 3.गौतम पुत्र धर्मबीर निवासीगण ग्राम खैला थाना चाँदीनगर जनपद बागपत, 4.दीपक उर्फ फुर्तीला निवासी ग्राम बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत व 03 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके भाई कुलदीप व रिश्तेदार कविन्द्र उर्फ बिट्टू की हत्या कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 155/24 धारा 103(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के

अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस, एसओजी बागपत एवं सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम ने थाने के मु०अ०सं० 155/2024 धारा 103(2)/3(5) बीएनएस में वांछित व 50,000 रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .32 बोर तथा एक मो०सा० हीरो स्प्लेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ द्वारा 50,000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया था व नामित अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत को पूर्व में गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौतम पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत। (घायलावस्था)

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .32 बोर।
- एक मो०सा० हीरो स्प्लेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 06/2020 धारा 395/397/412/34 भादवि व 6/25(2) आर्म्स एक्ट थाना रूद्रपुर राज्य उत्तराखण्ड।

2-मु०अ०सं० 28/2020 धारा 364ए/395/397/412/420/34 भादवि थाना कोतवाली रूद्रपुर राज्य उत्तराखण्ड।

3-मु०अ०सं० 254/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

4-मु०अ०सं० 155/2024 धारा 103(2)/3(5) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 170/24 धारा 109/317(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना प्रभारी संजय कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 सुखपाल सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 शिवकुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 659 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 489 सुनील कुमार एसओजी टीम बागपत ।
- 6-है0का0 680 अमरजीत एसओजी टीम बागपत ।
- 7-है0का0 468 कुलदीप सर्विलांस सैल बागपत ।
- 8-है0का0 120 प्रदीप कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
- 9-का0 25 राजीव कुमार एसओजी टीम बागपत ।
- 10-का0 375 मोनू शर्मा एसओजी टीम बागपत ।
- 11-का0 478 अजीत कुन्तल एसओजी टीम बागपत ।
- 12-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 13-का0 934 अश्वनी कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी राजेश व कल्लू प्रत्येक को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-राजेश पुत्र मामचन्द निवासी डेरी मच्छा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर व 2- कल्लू पुत्र देशराज निवासी ग्राम पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 185/2003 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राजेश व कल्लू प्रत्येक को 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 02.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 19 फ्रूटी अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 19 फ्रूटी अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम गौरीपुर निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 19 फ्रूटी अवैध देशी यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 611 देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत। ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 02.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज कुमार पुत्र आशाराम निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रान्शू राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 02.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनुप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।